आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई०सी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या – 28/2022 ज्योति कुमारी
29/2022 रिंकी कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
13.06.2023	प्रस्तुत वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के वाद सं०–38/2019 में दिनांक 18.01.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है। इस न्यायालय के वाद सं०–28/2022 श्रीमती ज्योति कुमारी बनाम रिंकी कुमारी व अन्य एवं 29/2022 श्रीमती रिंकी कुमारी बनाम ज्योति कुमारी व अन्य दोनो वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के वाद सं०–38/2019 के विरूद्ध दायर है एवं उक्त दोनों वादों के वादी ने एक दूसरे को पक्षकार बनाकर वाद दायर किया है। साथ ही उपरोक्त दोनो वाद बाल विकास परियोजना, गौनाहा अंतर्गत ग्राम पंचायत राज–बजरा के वार्ड सं०–03 केन्द्र सं०–207 में सेविका चयन से संबंधित है। इसलिए उक्त दोनो वादों के सभी पक्षकारों से एक साथ समेकित लिखित बहस प्राप्त करते हुए दिनांक 09.06.2023 को आयुक्त कार्यालय कक्ष में सुनवाई कर आदेश पारित किया जा रहा है। श्रीमती ज्योति कुमारी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार आँगनबाड़ी सेविका पद हेतु आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–207, वार्ड सं०–03, ग्राम पंचायत राज–बजरा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन हुआ। विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पत्रांक 157 दिनांक 13.06.2019 के आलोक में उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र का सर्वे महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती नीता कुमारी के द्वारा किया गया तथा सर्वे के आधार पर मैपिंग पंजी तैयार किया गया तथा आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–207 का बाहुल्य वर्ग अति पिछड़ा वर्ग प्रतिवेदित किया गया। आम सभा में बाहुल्य वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी श्रीमती ज्योति कुमारी का चयन किया गया। आगे श्रीमती ज्योति कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 12.09.2019 को हुए आम सभा के कार्यवाही के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि आम सभा में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के चयन पर आपत्ति की गयी क्योंकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के ज्ञापांक 157 दिनांक 13.06.2019 के आलोक में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार वार्ड सं०–03, केन्द्र सं०–207 अति पिछड़ा वर्ग बाहुल्य का था जिसके लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तत्पश्चात् दिनांक 12.09.2019 को आम सभा में चूंकि रिक्ति अति पिछड़ा वर्ग के लिए था तथा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी श्रीमती ज्योति कुमारी का चयन कर लिया गया। आगे श्रीमती ज्योति कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि श्रीमती रिंकी कुमारी ने 30 दिनों के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा के समक्ष कोई आपत्ति दायर नहीं किया। उन्होंने (श्रीमती रिंकी कुमारी) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के समक्ष श्रीमती ज्योति कुमारी के चयन के विरूद्ध वाद सं०–38/2019 दायर किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने अपने ज्ञापांक 80 दिनांक 08.01.2022 द्वारा श्री रिशुराज, जिला समन्वयक, राष्ट्रीय पोषण मिशन, श्रीमती दिपमाला कुमारी (महिला पर्यवेक्षिका), बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चनपटिया तथा श्रीमती वंदना रावर्ड, महिला पर्यवेक्षिका बाल विकास परियोजना कार्यालय, योगापट्टी को बाल विकास परियोजना, गौनाहा अंतर्गत प्रश्नगत केन्द्र का सर्वे मैपिंग पंजी जाँच करने के संबंध में निदेशित किया। जाँच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत केन्द्र पर बाहुल्यता अति पिछड़ा वर्ग होने की पुष्टि हुई। आगे श्रीमती ज्योति कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि दावा/आपत्ति के उपरांत वर्ग बाहुल्यता में हुई गणना की त्रुटि को महिला पर्यवेक्षिका द्वारा स्वीकार किया गया है एवं वर्ग

WEB COPY NOT OFFICIAL

बाहुल्यता पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग कही गयी है। जिसकी पुष्टि जाँच के आधार पर वर्ग बाहुल्यता अति पिछड़ा वर्ग होने से भी होती है। अंत में श्रीमती ज्योति कुमारी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए श्रीमती ज्योति कुमारी को सेविका पद पर बहाल रखने का अनुरोध किया।

श्रीमती रिंकी कुमारी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रश्नगत केन्द्र पर विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व पोषक क्षेत्र का सर्वे कराते हुए पोषक क्षेत्र के सर्वे के आधार पर मैपिंग पंजी तैयार किया गया एवं उस मैपिंग पंजी में प्रश्नगत केन्द्र का बाहुल्य वर्ग पिछड़ा वर्ग दर्शाया गया। आगे श्रीमती रिंकी कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चयन मार्गदर्शिका 2019 के अनुसार आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–207 पर बाहुल्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का ही चयन करना है। फिर भी विज्ञापन प्रकाशन एवं प्राप्त आवेदन के आधार पर मेधा सूची प्रकाशन के पश्चात महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती नीता कुमारी ने नाजायज तरीके से तथा किसी एक जाति को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से प्रश्नगत केन्द्र का बाहुल्य वर्ग पिछड़ा वर्ग से बदलकर अतिपिछड़ा वर्ग बना दिया गया जो विधिसम्मत नहीं है। साथ ही उनके (श्रीमती रिंकी कुमारी) विद्वान अधिवक्ता का यह भी यह दावा है कि बाहुल्यता बदलने संबंधित कागजात में Overwriting किया गया है तथा B.C. से पहले O जोड़कर O.B.C. बनाया गया है। आगे श्रीमती रिंकी कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का यह दावा है कि दिनांक 12.09.2019 को आयोजित आम सभा में महिला पर्यवेक्षिका ने बताया कि प्रश्नगत केन्द्र का बाहुल्य वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है। उस पर आम सभा में उपस्थित ग्रामीणों एवं श्रीमती रिंकी कुमारी ने विरोध प्रकट किया तब महिला पर्यवेक्षिका द्वारा बताया गया कि आम सभा स्थगित किया जाता है, परन्तु इसके बाद नाजायज तरीके से तथा चयन मार्गदर्शिका के विरूद्ध जाकर श्रीमती ज्योति कुमारी जो अनुसूचित जाति की है, का चयन कर लिया गया जबकि श्रीमती रिंकी कुमारी पिछड़ा वर्ग से आती है तथा मेधा सूची के क्रमांक 01 पर श्रीमती रिंकी कुमारी का नाम है इसलिए श्रीमती रिंकी कुमारी का ही चयन होना चाहिए। आगे श्रीमती रिंकी कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि श्रीमती ज्योति कुमारी के चयन के विरूद्ध श्रीमती रिंकी कुमारी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा के समक्ष वाद दायर किया परंतु उन्होंने वाद लेने से इन्कार इस आधार पर कर

WEB COPY NOT OFFICIAL

दिया कि वाद लेने का समय सीमा समाप्त हो गया है। तत्पश्चात् श्रीमती रिंकी कुमारी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के समक्ष वाद दायर किया जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा ने अपने पत्रांक 400 दिनांक 24.10.2019 के द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें उल्लेख किया है कि महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती नीता कुमारी द्वारा किये गये मैपिंग के आधार पर पिछड़ा जाति की बाहुल्यतानुसार रिक्ति का प्रकाशन किया गया था जिसके आधार पर पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, रिक्ति प्रकाशन के बाद महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती नीता कुमारी द्वारा वर्ग बाहुल्यता बदलकर अति पिछड़ा जाति दर्शाया गया लेकिन मैपिंग पंजी में कोई संशोधन नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत केन्द्र का नाजायज तरीके से बाहुल्य वर्ग पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग बनाया गया है। आगे श्रीमती रिंकी कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने आदेश में प्रश्नगत केन्द्र का बाहुल्य वर्ग अतिपिछड़ा वर्ग मान लिया परन्तु उनके द्वारा जाँच करायी गयी प्रतिवेदन में बाहुल्य वर्ग कौन सा है यह उल्लेख नहीं है। साथ ही उनका यह भी दावा है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने श्रीमती ज्योति कुमारी के चयन को रद्द कर दिया वो तो ठीक है परन्तु प्रश्नगत केन्द्र का बाहुल्य वर्ग अति पिछड़ा घोषित कर पुनः विज्ञापन प्रकाशन का आदेश देकर चयन करने का आदेश दिया जो विधि सम्मत नहीं है तथा चयन मार्गदर्शिका के विरूद्ध है। अंत में श्रीमती रिंकी कुमारी के विद्वान अधिवक्ता ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के पारित आदेश दिनांक 18.01.2022 के आंशिक भाग जिसके द्वारा केन्द्र सं०–207 की बाहुल्य वर्ग अति पिछड़ा वर्ग मानकर विज्ञापन प्रकाशित कर चयन करने के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार विज्ञापन पिछड़ा वर्ग के लिए निकला था। बाद में दावा/आपत्ति के उपरांत वर्ग बाहुल्यता में परिवर्तन हुआ परन्तु उसका प्रकाशन नहीं हुआ जिस कारण मैपिंग पंजी ही त्रुटिपूर्ण हो गया। इसलिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश सही है।

उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न

WEB COPY NOT OFFICIAL

न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में विज्ञापन पिछड़ा वर्ग के लिए प्रकाशित हुआ। इसके बाद दावा/आपत्ति हुआ। तत्पश्चात् महिला पर्यवेक्षिका/ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने वर्ग बाहुल्यता में परिवर्तन होने के उपरांत उनके द्वारा प्रकाशित रिक्ति में संशोधन कराये बगैर आम सभा में वर्ग बाहुल्यता परिवर्तन कर चयन कर दिया गया जो नियमानुकूल नहीं है। क्योंकि वर्ग बाहुल्यता परिवर्तन होने के उपरांत संशोधित रिक्ति का प्रकाशन नहीं करना अन्य अभ्यर्थियों के लिए नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है। क्योंकि वर्ग बाहुल्यता का प्रकाशन किये बगैर त्रुटिपूर्ण आधार पर पूर्ण की गई चयन प्रक्रिया से वर्ग बाहुल्यता से आने वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गये क्योंकि उनके (वर्ग बाहूल्यता वाले) द्वारा आवेदन ही नहीं किया गया। इसलिए गलत बाहुल्यता वाले विज्ञापन पर चयन करना नियम संगत नहीं है तथा सेविका/सहायिका चयन की प्रक्रिया ही *"ab initio ultra vires"* है। उक्त से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सेविका चयन हेतु तैयार की गयी मैपिंग पंजी में लापरवाही बरती गयी ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण मैपिंग पंजी के आधार पर क्रियान्वित चयन प्रक्रिया को निरस्त कर बाल विकास परियोजना कार्यालय, गौनाहा वार्ड सं०–03 पर क्रियान्वित मलीन चयन प्रक्रिया एवं चयनित अभ्यर्थी के चयन को अमान्य घोषित करते हुए श्रीमती ज्योति कुमारी को सेविका पद से पदच्यूत करने एवं विभागीय प्रावधान का अनुसरण करते हुए रिक्ति के प्रकाशन के साथ–साथ विभागीय मार्गदर्शिका–2019 एवं निदेशालय से प्राप्त मार्गदर्शन पत्रांक 4870 दिनांक 27.09.2021 के आलोक में महिला पर्यवेक्षिका एवं तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव दिये जाने के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के वाद सं०–38/2019 में दिनांक 18.01.2022 को पारित आदेश को अक्षुण्ण रखते हुए श्रीमती ज्योति कुमारी (वाद सं०–28/2022) एवं श्रीमती रिंकी कुमारी (वाद सं०–29/2022) के पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि **आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 3953 दिनांक 10.08.2021** के आलोक में जिसमें अंकित है कि

WEB COPY NOT OFFICIAL

"सेविका/सहायिका चयन हेतु रिक्ति प्रकाशन के संबंध में निदेशित है कि अब जिला स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 के कंडिका 07 के अनुसार इस हेतु आवश्यक कार्य जैसे – सर्वे, मैपिंग आदि कराकर जिला पदाधिकारी के स्तर से विज्ञापन प्रकाशन कराया जाना है। ताकि आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रिक्ति को भरा जा सके।" के अंतर्गत एक महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL